

कार्यालय

निदेशक

शिक्षा

हरियाणा

चण्डीगढ़

आदेश क्रमांक 23/367-2001 वि-1(4) दिनांक चण्डीगढ़ 6-9-2001

नियमानुसार जाच उपरान्त एस. आर. वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय
धाना कल्पर (यमुना नगर) को केवल शैक्षिक सत्र 2001-2002 से
10 जमा दो शिक्षा प्रणाली में (वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक की) कक्षाओं में आर्ट्स
कार्यस त्रश्च विज्ञान संकाय प्रारम्भ करने की स्थाई मान्यता निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान
की जाती है :-

1. सम्बन्धित विद्यालय के प्रबन्धक दस जमा दो शिक्षा प्रणाली हेतु राज्य सरकार / विभाग से किसी प्रकार की वित्तीय सहायता / अनुदान व पद इत्यादि की मांग नहीं करेंगे और इस बारे नार्म अनुसार छात्र/छात्राओं की वांछित सभी आवश्यक साधन/सुविधाएं अपने खर्च पर उपलब्ध करायेगे।
2. दस जमा दो शिक्षा प्रणाली की सम्बन्धित कक्षाओं के लिए प्राध्यापक वर्ग की नियुक्ति विभागीय योग्यता अनुसार अर्थात् केवल उन्ही को प्राध्यापक पद पर लगाया जाये जिन्होंने एम0ए0/ एस0 एस0 सी0/एम0 काम के सम्बन्धित विषय में कम से कम 50 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त किए हो तथा सह शिक्षा के लिए विभागीय शर्तों की भी पालना की जायेगी। इसी प्रकार अन्य पदों पर नियुक्तिया भी हरियाणा सरकार द्वारा निर्धारित योग्यताओं/ शर्तों के अन्तर्गत की जायेगी।
3. सभी छात्र/छात्राओं के लिए फर्नीचर इत्यादि का उचित प्रबन्ध सुनिश्चित किया जाए।
4. जमा एक तथा दो कक्षाओं के लिए नियुक्ति नियमानुसार की जायेगी तथा प्रबन्धक उनको पूरा वेतन अपने साधनों से भुगतान करेंगे इसके लिए सरकार से किसी प्रकार के अनुदान की मांग नहीं की जायेगी।
5. विद्यालय की हरियाणा एजुकेशन कोड की सभी शर्तों का पालन करना होगा।
6. दस जमा दो शिक्षा प्रणाली में केवल वही विषय तथा संकाय शुरू किए जायेंगे जिनकी टीचिंग/लर्निंग के लिए आवश्यक साधन/सुविधाये विद्यालय में उपलब्ध हों तथा जिनकी अनुमति विभाग द्वारा दी गई हो।
7. सरकार/विभाग/हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा समय समय पर जारी हिदायतों / निदेशों का पालन किया जाएगा।
8. सरकार की हिदायतों अनुसार आरक्षण नीति का पदलन किया जाएगा।
9. प्रवेश हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा जारी हिदायतों अनुसार किया जाएगा।
10. यह भी सुनिश्चित किया जाए कि विद्यालय के पुस्तकालय में प्रति छात्र छः के हिसाब से पुस्तकें उपलब्ध हों।
11. स्टाफ का वेतन बैंक चैक द्वारा ही दिया जाएगा।

13. संस्था में कार्यरत स्टाफ के छः मास के वेतन के बराबर बकाया राशि जिला शिक्षा अधिकारी के नाम बैंक में प्लेज करवाई जाए ।
14. विभाग द्वारा मान्यता किसी भी समय नोटिस देकर वापिस ली जा सकती है ।
15. भविष्य में छात्र/छात्राओं का प्रवेश विद्यालय की क्षमता / नार्म अनुसार ही किया जायेगा ।
16. संस्था को हरियाणा विद्यालय एक्ट 1995 के अधिनियम 1999 की धारा 3(1) के जो नियम बनेगे वह मान्य होंगे ।

राजेश्वर दयाल श्योकन्द
निदेशक माध्यमिक शिक्षा हरियाणा,
चण्डीगढ़ ।

पृ०क० सम दिनांक, चण्डीगढ़ 7-9-2000

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है ।

1. प्रबन्धक रुसा. डार. वैरूठ माध्यमिक विद्यालय
थाना कम्पार (यमुनानगर) ।

2. सचिव, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी ।

3. जिला शिक्षा अधिकारी यमुनानगर को उनके कमांक 7-12/2000
दिनांक 4-12-2000 के संदर्भ में

— अधीक्षक विद्यालय-1
कृते: निदेशक माध्यमिक शिक्षा हरियाणा,
चण्डीगढ़ ।

Principal
S.R. PUBLIC SCHOOL
Talakaar Road, Thana Chhappar
Distt. Yamuna Nagar (Haryana)
Aff. No. 531098

For S.R. Public School

Manager